

**हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर की वित्त समिति की दिनांक
21.05.2022 को पूर्वान्ह 11:00 बजे सम्पन्न 19वीं बैठक का कार्यवृत्त।**

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:

| | | |
|----|--|---------------|
| 1. | प्रो० समशेर कुलपति एवम् अध्यक्ष, वित्त समिति एच०बी०टी०य०, कानपुर। | अध्यक्ष |
| 2. | श्री कृष्ण शकर सिंह (प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग) विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग—1, उ०प्र. शासन, लखनऊ। | सदस्य |
| 3. | श्री अजय जौहरी (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग) अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, कानपुर मण्डल, कानपुर। | सदस्य |
| 4. | प्रो० नीरज कुमार सिंह कुलसचिव, एच०बी०टी०य०, कानपुर। | सदस्य |
| 5. | श्री गोपाल खरे वित्त नियंत्रक, एच०बी०टी०य०, कानपुर। | सदस्य—सचिव |
| 6. | श्रीमती ऐश्वर्या, वित्त एवं लेखाधिकारी, एच०बी०टी०य०, कानपुर। | विशेष आमंत्री |
| 7. | श्री ए०के० सिंह, सहा० अभियन्ता, अनुरक्षण अनु०एच०बी०टी०य०, कानपुर | विशेष आमंत्री |

समिति की बैठक सदस्यों के परिचयोपरान्त मात्र अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारम्भ हुई।

19.01. हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर की दिनांक 13/04/2022 को पूर्वान्ह 11:00 बजे सम्पन्न 18वीं वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण।

समिति द्वारा दिनांक 13/04/2022 को सम्पन्न 18वीं वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी/टीकाएं न प्राप्त होने के दृष्टिगत पुष्टीकरण किया गया।

19.02 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर की दिनांक 13/04/2022 को पूर्वान्ह 11:00 बजे सम्पन्न 18वीं वित्त समिति की बैठक में लिए गए नियमों पर कृत कार्यवाही का विवरण।

समिति ने कृत कार्यवाहियों को संज्ञान में लिया तथा कृत कार्यवाही के अधीन निम्नवत् निर्देश प्रदान किये—

- वित्त समिति के एजेण्डा मद सं० 17.11.02 कम में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/अनुभागों में निष्पायोज्य उपकरणों, मशीनों, सामानों एवं फर्नीचर आदि के निस्तारण किये जाने के पूर्व Depreciated वैल्यु एवं फ्लोर वैल्यु का पुनर्निर्धारण शासनादेशों में विहित व्यवस्था / आयकर विभाग के नियमों के आधार पर किया जाय एवं सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए निस्तारण की कार्यवाही की जाये।

2. एजेण्डा मद 18.05 के संबंध में समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि बाह्य एजेन्सियों, डी०एस०टी०, यू०पी०सी०एस०टी०,डी०आई०सी०-आई०आई०टी०,कानपुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम एवं अन्य संगठनों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के अधीन आय-व्ययक से संबंधित प्रगति विवरण नियमित रूप से विश्वविद्यालय की वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
3. एजेण्डा मद 18.13 के संबंध में समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि वित्त समिति की 18वीं में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रथमतः विश्वविद्यालय के पूर्वी प्रागण में स्थित उद्यानों के रख-रखाव का कार्य वित्त समिति द्वारा निर्धारित व्यय सीमा के अन्तर्गत कराया जाये।
- 19.03: हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर के शताब्दी भवन में शताब्दी समारोह के दृष्टिगत अतिरिक्त कराये गये कार्यों हेतु कार्यात्मक अनुमोदन एवं नवीन प्रस्तावित कार्य आगणन की धनराशि रु० 101.48 लाख के भुगतान संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

समिति ने सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के पश्चिमी प्रागढ़ में मल्टीपरपज हाल के निर्माण/कर्नीचर एण्ड फिक्सर तथा एकटरनल डेवलपमेन्ट हेतु अवमुक्त की गयी धनराशियों के अतिरिक्त किये गये निर्माण कार्यों हेतु कार्यात्मक अनुमोदन प्रदान किया तथा निर्माण इकाई रु० 101.48 लाख के सापेक्ष 90 प्रतिशत का भुगतान करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया। समिति द्वारा यह भी निर्देश प्रदान किये गये कि कार्यदायी संस्था द्वारा कराये गये कार्यों का Third Party Inspection भी कराया जाये। इस हेतु संस्था तय करने के लिए समिति द्वारा मा० कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। Third Party Inspection की सतोषजनक रिपोर्ट तथा भवन के हस्तान्तरण के उपरान्त शेष धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था को किया जाये।

- 19.04: हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर के शैक्षिक सत्र 2020-21 में बी०टेक० / एम०टेक० एम०सी०ए० में अध्ययनरत छात्रों द्वारा कोविड-19 वैशिक महामारी के कारण छात्रावास की सुविधा सीमित समय तक उपभोग किये जाने से हुई बचत के दृष्टिगत प्रथम/द्वितीय वर्ष के छात्रों को रु० 8000/- एवं तृतीय/चतुर्थ वर्ष के छात्रों को रु० 7000/- छात्रावास शुल्क वापसी संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

समिति ने सम्यक विचार करते हुए विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2020-21 में बी०टेक० / एम०टेक० / एम०सी०ए० में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रावासों में निवास हेतु आवटित कराये गये कक्षों को कोविड-19 वैशिक महामारी के कारण छात्रावास सुविधा सीमित समय तक उपभोग किये जाने के कारण विश्वविद्यालय की शुल्क माफी हेतु गठित समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रथम/द्वितीय वर्ष के जिन छात्रों ने छात्रावास शुल्क रु० 25000/- तथा तृतीय/चतुर्थ वर्ष के जिन छात्रों ने छात्रावास शुल्क रु० 14000/- जमा किये गये, उन्हें कमशः रु० 8000/- तथा रु० 7000/-कुल धनराशि रु० 56,79,000/- वापस किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

- 19.05 : विश्वविद्यालय कानपुर के अतिथि गृह में ठहरने हेतु गाइडलाइन्स, कान्फेन्स हाल का किराया एवं शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों से कमरों आदि के किराये की दरों के निर्धारण संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

समिति ने सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में ठहरने हेतु गाइड-लाइन्स, कान्फेन्स हाल का किराया एवं विश्वविद्यालय के वर्तमान एवं पूर्व शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों से किराये में छूट प्रदान किये जाने हेतु निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया:-

अ. विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में ठहरने हेतु गाइडलाइन्सः-

UNIVERSITY GUEST HOUSE (UGH) BOOKING NORMS, GUIDELINES, AND OTHER INFORMATION FOR THE USERS

1. For booking facility duly filled UGH registration form forwarded by respective forwarding authority may directly be submitted at UGH office.
2. Guest/ visitor is required to produce Id Proof upon arrival at the UGH along with the duly filled UGH registration form.
3. The guest shall also provide the names and other details of the accompanying members during the stay.
4. The booking is purely provisional and subject to the availability of rooms/conference hall in the guest house.
5. The booking may be cancelled if UGH is engaged in urgent university program.
6. Priority will be given to guests of the home university and visitors coming for academic activities/ official meetings/ conferences in the home university.
7. Students may be allotted accommodation in UGH for their parents/guardians.
8. No telephonic booking/ cancellation of any of the UGH facilities will be entertained.
9. Check-in and check-out duration is 24 hrs.
10. Approval for the extended stay has to be obtained beforehand.
11. Consumption of Narcotics/ Alcoholic drinks/ Smoking/ Chewing tobacco / Paan Masala etc. is strictly prohibited in UGH.
12. The guest is required to settle the final bills/ dues before the departure.
13. For free accommodation / official meetings/ conferences, permission should be obtained from the competent authority of the university.
14. Visitors must cooperate with the guest house officials for the proper maintenance of the rooms by avoiding littering of rooms and damaging the guest house property and should get the rooms thoroughly checked by the UGH attendant at the time of check-in and check-out.

ब. विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में स्थित कान्फ्रेन्स हाल का किराया बाहरी एजेन्सियों से रु0 2500/- प्रतिदिन की दर से लिया जाये।

स. विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में वर्तमान व पूर्व शिक्षकों/ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अतिथि गृह के कमरों इत्यादि के लिए निर्धारित किराये की दरों का 50% किराया लिया जाये।

19.06: हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर के पूर्वी एवं पश्चिमी प्रांगण में मुख्य सड़कों की मरम्मत हेतु आगणित धनराशि के भुगतान संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

समिति ने सम्यक विचार करते हुए विश्वविद्यालय के पूर्वी एवं पश्चिमी प्रांगण में मुख्य सड़कों की मरम्मत हेतु रु0 104.28 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 सूडा ईकाई-1, कानपुर को रु0 52.14 लाख का किया गया भुगतान के आलोक में कराये गये कार्यों की रिपोर्ट लेने तथा कार्यदायी संस्था से समस्त शर्तों का उल्लेख करते हुए पूरक कार्य आदेश जारी करते हुए अवशेष धनराशि का भुगतान नियमानुसार किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

9.07: हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर के शताब्दी द्वार व स्तम्भ एवं बिटुमिन रोड की आगणित धनराशि ₹0 315.24 लाख के अतिरिक्त टाइम कैम्पसूल, स्तम्भ में ग्रेनाइट व एक तरफ लाकिंग टाइल को समिलित करते हुए पुनरीक्षित आगणित धनराशि ₹0 344.32 लाख के कम में अधिक आगणित धनराशि ₹0 29.08 लाख के भुगतान संबंधी प्रस्ताव पर विचार।

समिति ने विचारोपरान्त शताब्दी द्वार व शताब्दी स्तम्भ एवं सङ्क समिति की आगणित धनराशि ₹0 315.24 लाख के अतिरिक्त टाइम कैम्पसूल, शताब्दी स्तम्भ में ग्रेनाइट व एक तरफ लाकिंग टाइल के कार्यों को समिलित करते हुए कार्यदायी संरक्षा द्वारा प्रस्तुत ₹0 344.32 लाख का पुनरीक्षित आगणन को विश्वविद्यालय की भवन निर्माण समिति से अनुमोदित कराने के उपरान्त अवशेष धनराशि ₹0 29.08 लाख के भुगतान हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

19.08. विश्वविद्यालय की भवन एवं कार्य समिति की दिनांक 08.12.2021 को सम्पन्न 12वीं बैठक में लिये गये निर्णय विषयक प्रस्ताव पर विचार।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 08 / 12 / 2021 के कार्यवृत्त को संज्ञान में लेते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

6/२११८२८
(गोपाल खरे)

वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव
एच०बी०टी०य० कानपुर